न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 84 / 2020

प्रार्थीगण

1. जसाराम पुत्र अर्जुन
2. पेमाराम पुत्र चैनाराम
3. ठाकराराम पुत्र चैनाराम
4. मालाराम पुत्र चैनाराम
5. पारू पत्नी चैनाराम
6. फूसाराम पुत्र कानाराम
7. नैनाराम पुत्र कानाराम
8. पेमी पत्नी अर्जुनराम
9. वालाराम पुत्र मानाराम
10. जीवाराम पुत्र मानाराम
11. बगताराम पुत्र मानाराम
12. लाछी पत्नी मानाराम
13. छोगाराम पुत्र ताजाराम
    जाति जाट निवासी हेराज का गोल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. डूंगराराम पुत्र खेताराम
2. जीयाराम पुत्र खेताराम
3. अर्जुन पुत्र खेताराम
4. हेमाराम पुत्र मालाराम
5. हीराराम पुत्र मालाराम
6. भीखाराम पुत्र मालाराम
7. चम्पादेवी पत्नी मालाराम
8. भैराराम पुत्र ईशराराम
9. लालाराम पुत्र भोमाराम
10. पूनमाराम पुत्र भोमाराम
11. दलाराम पुत्र भोमाराम कौम जाट (कडवासरा)
12. हडमानराम पुत्र सुरताराम
13. डालूराम पुत्र सुरताराम
14. पोकराराम पुत्र सुरताराम
15. जमनादेवी पत्नी सुरताराम
16. ठाकराराम पुत्र देरामाराम
17. मंगलाराम पुत्र देरामाराम
18. हनुमानराम पुत्र देरामाराम
19. नाजूबाई पत्नी देरामाराम
20. प्रभुराम पुत्र रायमलराम
21. जगमालराम पुत्र रायमलराम
22. मेराजराम पुत्र रायमलराम
23. मोडाराम पुत्र मदरूपाराम
24. पीराराम पुत्र मदरूपाराम जाति [illegible] गोल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
25. तहसीलदार गुड़ामालानी
26. नरींगाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी हेराज का गोल तहसील गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :–18–01–2021

गोल के खेत खसरा नम्बर 32, 33, 34 रकबा क्रमशः 63—13, 25—17, 10—11 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के बाद जबाव प्रस्तुत नहीं करने से जबाव का अवसर बन्द किया गया।

हमने प्रार्थीगण की विद्धान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073—2076 सरहद मौजा हेराज का गोल के खेत खसरा नम्बर 32, 33, 34 रकबा क्रमशः 63—13, 25—17, 10—11 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा हेराज का गोल के खेत खसरा नम्बर 32, 33, 34 रकबा क्रमशः 63—13, 25—17, 10—11 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधि[illegible]नी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया [illegible]ानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। [illegible]ना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:05 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 18.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)